विकलांगता अध्ययन केंद्र से सम्बंधित सभी पहलुओं के सम्बन्ध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए गठित प्रिपरेटरी समिति (प्रारंभिक समिति) की मसौदा रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद

अगर इस समिति की अंग्रेजी में मूल मसौदा रिपोर्ट और उसके इस अनुवाद के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में मूल अंग्रेजी मसौदा रिपोर्ट को सही माना जायेगा.

सभी हितधारकों से दिनांक 27 नवंबर, 2017 की अधिसूचना सं. स्था.II(i)2017/1709 के जरिए विकलांगता अध्ययन केंद्र की स्थापना के सभी पहलुओं के बारे में सिफारिशें करने के लिए गठित की गई प्रिपरेटरी समिति (प्रारंभिक समिति) की निम्नलिखित मसौदा रिपोर्ट के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। इस रिपोर्ट की हिंदी ब्रेल प्रति समान अवसर प्रकोष्ठ से 7 जून को प्राप्त की जा सकती है. सुझाव, टिप्पणियाँ और समुक्तियाँ 15 जून, 2018 तक ईमेल आईडी nodalofficerpwddu@gmail.com या osdeoc@gmail.com पर भेजी जा सकती हैं।

डॉ. बिपिन कुमार तिवारी
सदस्य सचिव

प्रो. अनिल कु. अनेजा
अध्यक्ष

दिनांक 27 नवंबर, 2017 की अधिसूचना सं. स्था.II(i)2017/1709 के जरिए विकलांगता अध्ययन केंद्र की स्थापना के सभी पहलुओं के बारे में सिफारिशें करने के लिए गठित की गई प्रिपरेटरी समिति की मसौदा रिपोर्ट

पृष्ठभूमि

माननीय कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में विकलांगता अध्ययन केंद्र स्थापित करने की घोषणा किए जाने के परिणामस्वरूप, दिनांक 27 नवंबर, 2017 की अधिसूचना सं. स्था.II(i)2017/1709 के जरिए इस प्रस्तावित केंद्र की स्थापना के सभी पहलुओं के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक प्रिपरेटरी समिति गठित की गई थी। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1.	प्रोफेसर अनिल कु. अनेजा, ओएसडी, ईओसी और नोडल अधिकारी, पीडब्ल्यूडी	(अध्यक्ष)
2.	डॉ. बिपिन कु. तिवारी, ओएसडी, ईओसी	(सदस्य सचिव)
3.	प्रो. कुसुम लता मलिक, हिंदी विभाग	(सदस्य)
4.	प्रो. संजीव कुमार एचएम, राजनीति विज्ञान विभाग	(सदस्य)
5.	डॉ. संतोष कुमार राय, इतिहास विभाग	(सदस्य)
6.	डॉ. रेनु मालवीय, लेडी इरविन कॉलेज	(सदस्य)
7.	डॉ. निखिल जैन, दयाल सिंह कॉलेज	(सदस्य)
8.	डॉ. प्रमोद कुमार सिंह, मैत्रेयी कॉलेज	(सदस्य)

समिति ने कई बैठकें आयोजित की और दो उप-समितियों का गठन करके उप-समिति की एप्रोच से भी काम किया। समिति ने विकलांगता अध्ययन में तीन विख्यात अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, अर्थात् जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, यूएसए से प्रोफेसर शेरोन स्नाइडर और प्रोफेसर डेविड मिशेल और प्रोफेसर निकोलस वाटसन, निदेशक, विकलांगता अध्ययन विभाग, ग्लासगो विश्वविद्यालय, यूके के साथ बातचीत भी की।

उपर्युक्त विचार-विमर्श के आधार पर समिति ने विकलांगता अध्ययन विकास केंद्र की स्थापना और कुछ पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या के लिए निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

सिफारिशें

1. केंद्र का नाम विकलांगता अध्ययन विकास केंद्र होना चाहिए और इसे विश्वविद्यालय के एक नए अध्यादेश XX (पी) के तहत स्थापित किया जाना चाहिए। मसौदा अध्यादेश अनुलग्नक -1 के रूप में संलग्न है।
2. यह एक समावेशी केंद्र होना चाहिए जिसमें विकलांग व अविकलांग दोनों तरह के ही प्राध्यापक एवं विद्यार्थी हों।
3. केंद्र के अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य होने चाहिए:

(क) विकलांगता अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करना;
(ख) विकलांगता अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करना;
(ग) विकलांग छात्रों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करना;
(घ) विकलांगता पेशेवरों और विकलांगता के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक लोगों को उपयुक्त पाठ्यक्रम प्रदान करना;
(ङ) विकलांगता अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करना;
(च) विकलांगता अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में मुक्त वैकल्पिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करना;
(छ) विकलांगता अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में एम.फिल/पीएचडी कार्यक्रम आयोजित करना;
(ज) विकलांगता के क्षेत्र में अनुसंधान आयोजित करना;
(झ) विकलांगता अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करना;
(ञ) यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षिक विभागों के साथ संपर्क स्थापित करना कि संबंधित विभागों द्वारा सीधे या कॉलेजों (महाविद्यालयों) के माध्यम से चलाए जा रहे स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रमों में विकलांगता को शामिल किया जाए।
(ट) विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के लिए व विश्वविद्यालय के बाहर के ऐसे ही अन्य व्यक्तियों के लिए, विकलांगता अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में एक स्त्रोत केंद्र के रूप में कार्य करना।

4. विकलांगता अध्ययन विकास केंद्र की संरचना, अध्यादेश XX में सूचीबद्ध विभिन्न अन्य केंद्रों की संरचनाओं के अनुरूप होनी चाहिए।

(क) केंद्र का एक शासी निकाय, एक सलाहकार निकाय, एक निदेशक, एक मानद निदेशक, और एक विशेष कार्य अधिकारी होना चाहिए जैसा कि विश्वविद्यालय के कुछ अन्य केंद्रों में है।

(ख) इसके अलावा, केंद्र में उपयुक्त शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी और आधारिक संरचना होने/होनी चाहिए।

(ग) विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों/विभागों के संकाय सदस्यों को अतिथि प्राध्यापक के रूप में या केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आमंत्रित किया जा सकता है।

(घ) विश्वविद्यालय से बाहर विकलांगता विशेषज्ञों को अतिथि प्राध्यापक के रूप में भी आमंत्रित किया जा सकता है।

5. कुलपति, केंद्र में पूर्णकालिक/वास्तविक नियुक्तियाँ किए जाने तक, निदेशक, मानद निदेशक, विशेष कार्य अधिकारी के साथ-साथ शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं।

6. विश्वविद्यालय को केंद्र में कम से कम तीन (3) पूर्णकालिक प्रोफेसरों, चार (4) एसोसिएट प्रोफेसरों और पाँच (5) सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति पर विचार करना चाहिए। ये किसी भी विषय से हो सकते हैं लेकिन इन्हें विकलांगता और विकलांगता अध्ययन का ज्ञान और अनुभव हो। इसके अलावा, उपयुक्त गैर-शिक्षण कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं।

7. केंद्र में संकाय सदस्यों के लिए कम से कम तकनीकी सहायता युक्त तीन अध्ययन कक्ष, एक निदेशक कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, एक पुस्तकालय कक्ष, एक प्रौद्योगिकी संसाधन कक्ष, एक संगोष्ठी कक्ष, और कार्यालय स्थान होना चाहिए।

8. केंद्र की अवसंरचना, संसाधन कक्ष, प्रौद्योगिकी सहायता और पुस्तकालय इत्यादि की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये (केवल पचास लाख रुपये) का प्रारंभिक अनुदान दिया जा सकता है।

9. विकलांगता अध्ययन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का पाठ्य-विवरण अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है और विकलांगता अध्ययन पर एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य-विवरण अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न है। संकेत भाषा में पाठ्यक्रम, आरसीआई द्वारा अनुमोदित पाठ्य-विवरण के अनुसार और भारतीय पुनर्वास परिषद से उचित अनुमोदन लेने के बाद प्रदान किए जाएंगे।

10. समिति ने इस रिपोर्ट को खुली चर्चा के लिए परिचालित/प्रदर्शित करने का निर्णय किया और इस संबंध में विचार-विमर्श आयोजित करने का निर्णय लिया।

डॉ. बिपिन कु. तिवारी
सदस्य सचिव, प्रिपरेटरी समिति,
विकलांगता अध्ययन केंद्र,
दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रो. अनिल कु. अनेजा
अध्यक्ष, प्रिपरेटरी समिति,
विकलांगता अध्ययन केंद्र,
दिल्ली विश्वविद्यालय

<u>अनुलग्नक-I</u>

अध्यादेश XX (पी)
विकलांगता अध्ययन विकास केंद्र

दिल्ली विश्वविद्यालय में विकलांगता अध्ययन विकास केंद्र (बाद में डीएसडीसी के रूप में निर्दिष्ट) विश्वविद्यालय के अध्यादेश XX (पी) के तहत स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र विभिन्न अकादमिक एवं अनुसंधान कार्यक्रम प्रदान करेगा।

1. उद्देश्य

विकलांगता अध्ययन केन्द्र के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:

i. सभी स्तरों पर विभिन्न विभागों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में विकलांगता और विकलांगता संबंधी मुद्दों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना।

ii. विकलांगता और विकलांगता अध्ययनों के संबंध में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।

iii. विकलांगता अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करना।

iv. विकलांग छात्रों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम/कार्यक्रम प्रदान करना।

v. विकलांगता अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करना;

vi. विकलांगता अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में मुक्त वैकल्पिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करना;

vii. विकलांगता अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में एम.फिल/पीएचडी कार्यक्रम आयोजित करना;

viii. विकलांगता के क्षेत्र में अनुसंधान करना;

ix. विकलांगता अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करना;

x. विकलांग पेशेवरों और विकलांगता के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक लोगों को उपयुक्त पाठ्यक्रम प्रदान करना;

xi. विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के लिए व विश्वविद्यालय के बाहर के ऐसे ही अन्य व्यक्तियों के लिए, विकलांगता अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों में एक स्त्रोत केंद्र के रूप में कार्य करना।

xii. विकलांगता के क्षेत्र में व्यावहारिक अनावरण को बढ़ावा देना।

xiii. विकलांगता के क्षेत्र में समकालीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।

xiv. विकलांगता और विकलांगता अध्ययन के क्षेत्र में सम्मेलन, कार्यशालाएं और संगोष्ठी आयोजित करना।

2. शासी संरचना

विकलांगता अध्ययन विकास केंद्र का शासन विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत निम्नलिखित निकायों के जरिए किया जाएगा:

2.1. शासी निकाय

2.2. सलाहकार परिषद

2.1 शासी निकाय का गठन

विकलांगता अध्ययन विकास केंद्र के प्रबंधन के लिए गठित एक शासी निकाय होगा जिसमें निम्न होंगे:

i. कुलपति (कुलपति का/की नामित) - अध्यक्ष
ii. सम-कुलपति या उनके/उनकी नामित (पदेन)
iii. कुलसचिव (पदेन)
iv. विकलांगता अध्ययन या संबंधित क्षेत्रों से तीन विशेषज्ञ जो कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किए जाएंगे।
v. वित्त अधिकारी
vi. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में से एक प्रोफेसर जिन्हे विकलांगता अध्ययन का ज्ञान हों.
vii. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में से एक सह/सहायक प्रोफेसर (एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर) जिन्हे विकलांगता अध्ययन का ज्ञान हो।
viii. विकलांगता अध्ययन विकास केंद्र के निदेशक/मानद निदेशक/विशेष कार्य अधिकारी- सदस्य सचिव।

2.1.1. कार्यकाल

शासी निकाय के पदेन सदस्यों के सिवाय सभी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। शासी निकाय की शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी। शासी निकाय की बैठकों में कोरम कुल सदस्यता का एक तिहाई होगा। सदस्य स्काईप या किसी अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम से बैठक में भाग लेने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसी स्थिति में उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी।

2.1.2. शासी निकाय के कार्य

शासी निकाय के निम्नलिखित कार्य होंगे:

i. विकलांगता अध्ययन विकास केंद्र के बजट पर विचार करना और विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश करना और कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित बजट में निर्धारित सीमाओं के भीतर व्यय करना।
ii. लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक लेखों पर विचार करना और विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश करना।
iii. विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन, संस्थान की निधियों को किसी अनुसूचित बैंक में रखना और निदेशक या ऐसे अधिकारी (अधिकारियों) को, जिसे (जिन्हें) यह निर्दिष्ट करे, बैंक खाता संचालित करने के लिए प्राधिकृत करना।
iv. अतिथि प्राध्यापक और कार्यालय के कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करना।

v. विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 19(1) के तहत चयन समिति की अनुशंसाएं लेने के बाद और विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन डीएसडीसी के लिए शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

vi. केंद्र के प्रशासनिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को नियुक्त, निलंबित करना या उनकी सेवाएं समाप्त करना, जिनके संबंध में कार्यकारी परिषद द्वारा ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायित की हैं और परिलब्धियाँ एवं सेवा की शर्तें निर्धारित करना: बशर्ते, उस व्यक्ति की नियुक्ति की अर्हताएं, परिलब्धियाँ और सेवा की शर्तें, विश्वविद्यालय में समान पदों के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी।

vii. केंद्र की दक्षता में सुधार लाने के लिए सलाहकार परिषद की सिफारिश के आधार पर अनुबंध आधार पर गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति या उनकी सेवाएं समाप्त करना जिनके संबंध में कार्यकारी परिषद द्वारा ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायित की जाएं।

viii. भवन सहित आधारिक संरचना की आवश्यकताओं का निर्णय लेना, खरीद की व्यवस्था करना और सलाहकार परिषद की सिफारिशों पर विचार करना।

ix. शासी निकाय का गठन किए जाने तक अथवा शासी निकाय न होने पर, उपयुक्त कार्यों का किसी भी समय कुलपति या उनके नामिति द्वारा निर्वहन किया जाए।

2.2.1. सलाहकार परिषद का गठन

विकलांगता अध्ययन विकास केंद्र के शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रारूप देने और इनके प्रबंधन के लिए एक सलाहकार परिषद होगी जिसमें निम्न होंगे:

i. अध्यक्ष, जो शासी निकाय द्वारा नामित किया जाएगा।

ii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या राष्ट्रीय महत्व की किसी शैक्षणिक संस्था या शासी निकाय द्वारा नामित किए गए अन्य सरकारी विभाग से, जिसे संबंधित क्षेत्र का ज्ञान हो, संयुक्त सचिव या उच्चतर रैंक के दो विकलांगता विशेषज्ञ (शैक्षणिक संस्थाओं के मामले में प्रोफेसर या समकक्ष)।

iii. शासी निकाय द्वारा चार से अनधिक राष्ट्रीय विशेषज्ञ, जिन्हें विकलांगता अध्ययन या संबंधित क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव हो और किसी पंजीकृत संगठन में वरिष्ठ स्तर पर काम कर रहे हो, नामित किए जाएं।

iv. शासी निकाय द्वारा दो से अनधिक विशेषज्ञ, जिन्हें विकलांगता से संबंधित शैक्षणिक मामलों में समृद्ध अनुभव हो, नामित किए जाएं।

v. शासी निकाय द्वारा विकलांगता अध्ययन क्षेत्र से दो से अनधिक शिक्षाविद (सेवारत या सेवानिवृत्त) नामित किए जाएं।

vi. वित्त अधिकारी

vii. कार्यक्रम समन्वयक (पदेन सदस्य)

viii. निदेशक, दिल्ली विश्वविद्यालय संगणक केंद्र (पदेन)

ix. संस्थान के निदेशक/मानद निदेशक/ओएसडी - सदस्य सचिव

x. शासी निकाय का गठन किए जाने तक अथवा शासी निकाय न होने पर, किसी भी समय, सलाहकार परिषद का नामांकन, कुलपति या उनके नामिति द्वारा किए जायेंगे ।

2.2.2. कार्यकाल

सलाहकार परिषद के पदेन सदस्यों के सिवाय सभी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। सलाहकार परिषद की शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी। सलाहकार परिषद की बैठकों में कोरम कुल सदस्यता का एक तिहाई होगा। सदस्य स्काईप या किसी अन्य दृश्य-श्रृव्य माध्यम से बैठक में भाग लेने का विकल्प चुन सकते हैं. ऐसी स्थिति में उनकी उपस्थिति की की गणना की जाएगी।

2.2.3. सलाहकार परिषद के कार्य

शासी निकाय के समग्र नियंत्रण के अध्यधीन, सलाहकार परिषद निम्नलिखित कार्य करेगी:

i. विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद के नियंत्रण के अध्यधीन, विद्यार्थियों और शोधकर्ता (निवासी व अनिवासी) के प्रवेश परीक्षा और उत्तीर्ण/पदोन्नति मानदंड के नियम और उनके द्वारा चुकाए जाने वाले शुल्क इत्यादि निर्धारित करना।

ii. केंद्र के लिए एक शोध समिति का गठन करना, जो अनुसंधान को बढ़ावा देने और सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करने में मदद करेगी। ऐसा हो सकता है कि अनुसंधान समिति के सदस्य विश्वविद्यालय से जुड़े न हों. ऐसे सदस्यों को विकलांगता अध्ययन या संबंधित क्षेत्रों से लिया जा सकता है।

iii. दीर्घकालिक योजनाएं बनाना, ऐसे नियम बनाना जो ऐसी योजनाओं के निष्पादन और डीएसडीसी के कार्य के विनियमन के लिए अनिवार्य समझती है।

iv. पाठ्यक्रम प्रदान करने और नई तकनीकों को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश बनाना।

v. शासी निकाय को उन्नत उपकरण और आधारिक संरचना की आवश्यकताओं की सिफारिश करना।

vi. विकलांगता अध्ययन के क्षेत्र में किये गए कार्यों एवं उसके परिणामों को प्रकाशन व प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के जरिए प्रसारित करना;

vii. ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और कार्य करना, जो उन्हें शासी निकाय द्वारा सौंपे जाएं।

viii. उपर्युक्त कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक अन्य कार्य करना।

3. पदाधिकारी

3.1. निदेशक

i. केंद्र का एक निदेशक होगा, जिसकी नियुक्ति शासी निकाय की संस्तुति पर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी। शासी निकाय, निदेशक की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और प्रक्रिया परिभाषित करेगा। (निदेशक की नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष या निदेशक की आयु 65 वर्ष होने तक, जो भी पहले हो, होगी। निदेशक एक और कार्यकाल के लिए नियुक्ति का पात्र होगा। विश्वविद्यालय का कोई प्रोफेसर, निदेशक के पद के लिए विचारार्थ पात्र होगा/होगी। जहाँ तक संभव हो वह एक विकलांग व्यक्ति होना/होनी चाहिए)।

ii. केंद्र के/की निदेशक, प्रधान कार्यकारी अधिकारी होंगे/होंगी और प्रशासनिक प्रभारी भी होंगे/होंगी और विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि, अध्यादेश, नियमों और विनियमों के अनुसार केंद्र के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे। वह शासी निकाय के समग्र नियंत्रण में कार्य करेंगे/करेंगी।

iii. निदेशक, केंद्र में अनुसंधान/शिक्षण के आयोजन व निगरानी और केन्द्र के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों और अन्य आवश्यकताओं का निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।

iv. निदेशक निम्नानुसार कार्य करेगा/करेगी:

क) शासी निकाय के सदस्य सचिव;

ख) सलाहकार परिषद के सदस्य सचिव

v. निदेशक, डीएसडीसी के दिन-प्रतिदिन कार्य करने के लिए व्यय के लिए एक अग्रदाय खाता रखने और संचालित करने के लिए अधिकृत होगा/होगी।

3.2. मानद निदेशक

i. एक मानद निदेशक होगा/होगी जिसके पास विकलांगता अध्ययन क्षेत्रों या संबंधित क्षेत्रों में विशेष प्रमाणपत्र हो और जिसकी नियुक्ति शासी निकाय की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी। वह मानद सलाहकार की हैसियत में काम करेगा/करेगी और शासी निकाय के समग्र नियंत्रणाधीन कार्य करेगा/करेगी। हालाँकि, केंद्र की नितांत जरूरतों को पूरा करने के लिए, कुलपति, मानद निदेशक की नियुक्ति कर सकता है और इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद देगी।

ii. यदि मानद निदेशक, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर/ सह प्रोफेसर (एसोसिएट प्रोफेसर) /सहायक प्रोफेसर पर पदधारक है या विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय के कॉलेज में समकक्ष पदाधिकारी है, वह अपने मूल विभाग/संस्थान/कॉलेज में अपने नियमित कार्यों के अलावा मानद निदेशक धारित करेगा/करेगी।

iii. मानद निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष होगा जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

iv. निदेशक न होने पर, मानद निदेशक उन सभी कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा/करेगी जो अधिदेश के अधीन निदेशक के पास हों।

3.3. विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी)

3.3.1. कुलपति, निदेशक/मानद निदेशक को अपने कार्यों और शासी निकाय, सलाहकार परिषद और/या कुलपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों के निर्वहन में मदद करने के लिए विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्त कर सकता है।

3.3.2. निदेशक/मानद निदेशक की अनुपस्थिति में, विशेष कार्य अधिकारी, उनके अधिष्ठित कार्यों का निर्वहन करेगा।

4. कार्यक्रम समन्वयक

कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्त या उसके घटक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से सामान्यतः तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाएगी, जिसे नवीनीकृत किया जा

सकता है।

5. आमंत्रित प्राध्यापक, अतिथि प्राध्यापक और अध्येता

केंद्र को विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुनिया भर में विकलांगता अध्ययन या संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत आमंत्रित प्राध्यापक, अतिथि प्राध्यापक और अध्येताओं को नियुक्त करने का अधिकार है, जिसकी संख्या समय-समय पर सलाहकार परिषद द्वारा निर्धारित की जाए।

इन नियुक्तियों के नियम और शर्तें, विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सलाहकार परिषद की सिफारिशों पर शासी निकाय द्वारा तय किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास किए जाएंगे कि केंद्र के कम से कम आधे पदाधिकारी और प्राध्यापक विकलांग हों।

6. वित्त

(i) संस्थान के सभी व्यय जैसे संगोष्ठियाँ, अनुसंधान परियोजनाओं, शिक्षण, प्रकाशनों, प्रशासन और अन्य सहायक गतिविधियों के निष्पादन का व्यय, बजट और सलाहकार परिषद द्वारा अनुमोदित आवंटन के अनुसार किए जाएंगे।

(ii) सभी वितीय संचालन, दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार किए जाएंगे।

7. शैक्षणिक कर्मचारी और अन्य कर्मचारी (गैर-शिक्षण/तकनीकी/लिपिकीय/सहायक कर्मचारी इत्यादि)

उपर्युक्त कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार शासी निकाय द्वारा और विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की स्वीकृति के अध्यधीन की जाएगी। कुलपति पद सृजित करने और अनुमोदित करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए अधिकृत हैं।

<u>अनुलग्नक-2</u>

विकलांगता अध्ययन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सर्टिफिकेट कोर्स) के लिए पाठ्यक्रम

अवधि	01 सत्र
विषय	03 विषय
दाखिला क्षमता	प्रत्येक पेपर 50 छात्र

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सर्टिफिकेट कोर्स):-

विषय 1: विकलांगता का परिचय

उद्देश्य: इस विषय का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कुछ प्राथमिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को विकलांगता से संबधित जानकारी प्रदान कराना है। इसका उद्देश्य उन्हें विकलांगता की परिभाषा, उसके वर्गीकरण और उन बाधाओं के बारे में शिक्षित करना है जो विकलांगों को अपने परिवेश में पाते है। इसका संबंध समय-समय पर विकलांगता के प्रति दृष्टिकोणों में परिवर्तनों का विश्लेषण करने की दृष्टि से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करके विकलांगता की दिशा में अधिकार-आधारित दृष्टिकोण विकसित करने से है। इसके द्वारा संवेदनशील और विकलांग-अनुकूल समाज बनाने का भी प्रयास किया गया है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सुलभ वातावरण प्रदान सके।

इकाईः 1. विकलांगता का वर्गीकरण

क) विकलांगता की परिभाषाएं

ख) विकलांगता की श्रेणियाँ

ग) प्रमुख विकलांगताएं

इकाईः 2. विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण

क) चिकित्सा उन्मुखी (व्यक्ति प्रधान) दृष्टिकोण

ख) सामाजिक दृष्टिकोण

ग) अधिकार-आधारित दृष्टिकोण

इकाईः 3. विकलांगता और समावेशन

क) सुगम्य परिवेश

ख) सहायक तकनीक

ग) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन

इकाईः 4. विकलांगता और सामाजिक व्यवहार:

क) पारिवारिक व्यवहार

ख) सामाजिक जागरूकता और नागरिक समाज समूह

ग) मनो विश्लेषण और विकलांगता

परीक्षा की योजनाः

कुल अंक	100
सत्रांत परीक्षा	70 अंक
आंतरिक आकलन	30 अंक

विषय 2: विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से सम्बंधित अधिनियम, 2016

उद्देश्य: विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से सम्बंधित अधिनियम, 2016 विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करता है। यह अधिकार-आधारित विकलांगता दृष्टिकोण विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2007 में भारत द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से सम्बंधित संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुसमर्थन ने इस कानून के लिए आधार प्रदान किया।

इस विषय का उद्देश्य इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन करना और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए इन प्रावधानों के महत्व का पता लगाने का प्रयास करना है।

इकाई 1: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

क) संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति अधिकार संधिपत्र (यूएनसीआरपीडी)

ख) भारतीय कानून का इस संधिपत्र (यूएनसीआरपीडी) के साथ सामंजस्य करने के लिए राष्ट्र-स्तरीय विचार-विमर्श

ग) समिति की सिफारिशें एवं प्रतिक्रिया

इकाई 2: मुख्य प्रावधान

क) शिक्षा

ख) रोजगार

ग) शिकायत निवारण

इकाई 3: कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं

क) विकलांगता का विस्तार

ख) कानूनी क्षमताओं और संपत्ति के अधिकार

ग) लिंग

इकाई 4: चुनौतियाँ और अवसर

क) नियम बनाने और उनके कार्यान्वयन से सम्बंधित समस्यायें

ख) संरचनात्मक विकेंद्रीकरण

ग) महत्व और प्रभाव

परीक्षा की योजनाः

सत्रांत परीक्षा	70 अंक
आंतरिक आकलन	30 अंक
कुल अंक	100

विषय 3: कौशल आधारित विषय

टिप्पणीः इस भाग में 3 विषय हैं। छात्र इनमें से एक चुन सकते हैं।

विषय 3(क): ब्रेल लिपि

उद्देश्य: ब्रेल **लिपि** दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक वरदान है क्योंकि यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पढ़ने-लिखने का माध्यम है। ब्रेल के आविष्कार ने जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग लेने और योगदान करने की उनकी क्षमता में वृद्धि कर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक गौरवमयी जीवन सुनिश्चित किया है।

इस विषय में विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि की जानकारी दी गई है। यह दृष्टिबाधित लोगों के लिए इस लिपि के उपयोग और उपयोगिता को स्पष्ट करता है। विकलांगता के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आने से ब्रेल की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर सवाल उठाया गया है और बहस हुई है। इस विषय में विभिन्न बिंदुओं से इस मुद्दे को समझने का प्रयास भी किया गया है।

इकाई 1: ब्रेल लिपि का विकास

क) ब्रेल की खोज से पहले का इतिहास

ख) लुई ब्रेल और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए 18वीं शताब्दी में चुनौतियाँ

ग) दृष्टिहीन लोगों की शिक्षा पर ब्रेल का प्रभाव

इकाई 2: ब्रेल स्क्रिप्ट का ज्ञान

क) स्पर्श का दर्शन-शास्त्र और भूमिका

ख) अंग्रेजी ब्रेल

ग) हिंदी ब्रेल

इकाई 3: ब्रेल लिपि का महत्व

क) ब्रेल की प्रासंगिकता

ख) पेपरलेस ब्रेल

ग) समकालीन मुद्दे

परीक्षा की योजनाः

सत्रांत लिखित परीक्षा	40 अंक
सत्र व्यावहारिक परीक्षा	30 अंक
आंतरिक आकलन	30
कुल अंक	100

विषय 3: (ख): सांकेतिक भाषा

उद्देश्य: सांकेतिक भाषा से श्रवणशक्ति बाधित लोगों के लिए उनके परिवारों और समाज से संपर्क स्थापित करने के द्वार खुले हैं। इस विषय में श्रवणशक्ति बाधित लोगों और समाज के बीच व्यवहार्य सेतु बनाने की भूमिका एवं तकनीक का महत्व स्पष्ट किया गया है। इस विषय का पाठ्यक्रम वह होगा जो भारतीय पुनर्वास परिषद के सांकेतिक भाषा पाठ्यक्रम के स्तर 'क' के लिए निर्धारित किया गया है|

परीक्षा की योजनाः

सत्रांत लिखित परीक्षा	40 अंक
सत्र व्यावहारिक परीक्षा	30 अंक
आंतरिक आकलन	30
कुल अंक	100

विषय 3(ग): सहायक तकनीक

उद्देश्य: सहायक प्रौद्योगिकी के आने से विकलांग व्यक्ति विकलांगता की बाधा को प्रभावी रूप से दूर कर पाए हैं। ऐसी बहुत-सी प्रौद्योगिकियाँ हैं जो शिक्षा, गतिशीलता और संचार संबंधी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी मदद करती हैं। इस विषय में इन प्रौद्योगिकियों से विस्तृत से विस्तृत परिचय कराया गया है। इन सहायक प्रौद्योगिकियों ने विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अपने अधिकारों का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग करने में सक्षम बनाया है। ये नकारात्मक धारणा और समाज के दृष्टिकोण से निपटने के लिए परिवर्तन का प्रभावी कारक भी हैं।

इकाई 1: दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी

क) स्क्रीन रीडर और संश्लेषक (सिंथेसाइज़र)

ख) ऑडियो और डेज़ी

ग) बड़े प्रिंट और अन्य माध्यम

इकाई 2: श्रवण और वाक् शक्ति बाधित व्यक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी

क) श्रवण साधन (हियरिंग एड)

ख) संचार उपकरण

ग) वाईब्रेंट प्रौद्योगिकी

इकाई 3: अस्थिबाधित विकलांगों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी

क) संरचनात्मक सुगम्यता

ख) व्हील चेयर्स और स्टेयर क्लाईम्बर्स

ग) अन्य सहायक प्रौद्योगिकियाँ

परीक्षा की योजनाः

सत्रांत लिखित परीक्षा	40 अंक
सत्र व्यावहारिक परीक्षा	30 अंक
आंतरिक आकलन	30
कुल अंक	100

<u>अनुलग्नक-3</u>

विकलांगता अध्ययन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य-विवरण

अवधि	02 सत्र
विषय	06 विषय
दाखिला क्षमता	प्रत्येक विषय 50 छात्र

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

विषय 1: विकलांगता का परिचय

उद्देश्य: इस विषय का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कुछ प्राथमिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को विकलांगता से संबधित जानकारी प्रदान कराना है। इसका उद्देश्य उन्हें विकलांगता की परिभाषा, उसके वर्गीकरण और उन बाधाओं के बारे में शिक्षित करना है जो विकलांगों को अपने परिवेश में पाते है। इसका संबंध समय-समय पर विकलांगता के प्रति दृष्टिकोणों में परिवर्तनों का विश्लेषण करने की दृष्टि से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करके विकलांगता की दिशा में अधिकार-आधारित दृष्टिकोण विकसित करने से है। इसके द्वारा संवेदनशील और विकलांग-अनुकूल समाज बनाने का भी प्रयास किया गया है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सुलभ वातावरण प्रदान सके।

इकाईः 1. विकलांगता का वर्गीकरण

क) विकलांगता की परिभाषाएं
ख) विकलांगता की श्रेणियाँ
ग) प्रमुख विकलांगताएं

इकाईः 2. विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण

क) चिकित्सा उन्मुखी (व्यक्ति प्रधान) दृष्टिकोण
ख) सामाजिक दृष्टिकोण
ग)अधिकार-आधारित दृष्टिकोण

इकाईः 3. विकलांगता और समावेशन

क) सुगम्य परिवेश
ख) सहायक तकनीक
ग) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन

इकाईः 4. विकलांगता और सामाजिक व्यवहार:

क) पारिवारिक व्यवहार

ख) सामाजिक जागरूकता और नागरिक समाज समूह

ग) मनो विश्लेषण और विकलांगता

परीक्षा की योजनाः

सत्रांत परीक्षा	70 अंक
आंतरिक आकलन	30 अंक
कुल अंक	100

विषय 2: विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से सम्बंधित अधिनियम, 2016

उद्देश्य: विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से सम्बंधित अधिनियम, 2016 विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करता है। यह अधिकार-आधारित विकलांगता दृष्टिकोण विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2007 में भारत द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से सम्बंधित संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुसमर्थन ने इस कानून के लिए आधार प्रदान किया।

इस विषय का उद्देश्य इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन करना और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए इन प्रावधानों के महत्व का पता लगाने का प्रयास करना है।

इकाई 1: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

क) संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्ति अधिकार संधिपत्र (यूएनसीआरपीडी)

ख) भारतीय कानून का इस संधिपत्र (यूएनसीआरपीडी) के साथ सामंजस्य करने के लिए राष्ट्र-स्तरीय विचार-विमर्श

ग) समिति की सिफारिशें एवं प्रतिक्रिया

इकाई 2: मुख्य प्रावधान

क) शिक्षा

ख) रोजगार

ग) शिकायत निवारण

इकाई 3: कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं

क) विकलांगता का विस्तार

ख) कानूनी क्षमताओं और संपत्ति के अधिकार

ग) लिंग

इकाई 4: चुनौतियाँ और अवसर

क) नियम बनाने और उनके कार्यान्वयन से सम्बंधित समस्यायें

ख) संरचनात्मक विकेंद्रीकरण

ग) महत्व और प्रभाव

परीक्षा की योजनाः

सत्रांत परीक्षा	70 अंक
आंतरिक आकलन	30 अंक
कुल अंक	100

विषय 3: कौशल आधारित विषय

टिप्पणी: इस भाग में 3 विषय हैं। छात्र इनमें से एक चुन सकते हैं।

विषय 3(क): ब्रेल लिपि

उद्देश्य: ब्रेल **लिपि** दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक वरदान है क्योंकि यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पढ़ने-लिखने का माध्यम है। ब्रेल के आविष्कार ने जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग लेने और योगदान करने की उनकी क्षमता में वृद्धि कर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक गौरवमयी जीवन सुनिश्चित किया है।

इस विषय में विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि की जानकारी दी गई है। यह दृष्टिबाधित लोगों के लिए इस लिपि के उपयोग और उपयोगिता को स्पष्ट करता है। विकलांगता के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आने से ब्रेल की उपयोगिता और प्रासंगिकता पर सवाल उठाया गया है और बहस हुई है। इस विषय में विभिन्न बिंदुओं से इस मुद्दे को समझने का प्रयास भी किया गया है।

इकाई 1: ब्रेल लिपि का विकास

क) ब्रेल की खोज से पहले का इतिहास

ख) लुई ब्रेल और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए 18वीं शताब्दी में चुनौतियाँ

ग) दृष्टिहीन लोगों की शिक्षा पर ब्रेल का प्रभाव

इकाई 2: ब्रेल स्क्रिप्ट का ज्ञान

क) स्पर्श का दर्शन-शास्त्र और भूमिका

ख) अंग्रेजी ब्रेल

ग) हिंदी ब्रेल

इकाई 3: ब्रेल लिपि का महत्व

क) ब्रेल की प्रासंगिकता

ख) पेपरलेस ब्रेल

ग) समकालीन मुद्दे

परीक्षा की योजनाः

सत्रांत लिखित परीक्षा	40 अंक
सत्र व्यावहारिक परीक्षा	30 अंक
आंतरिक आकलन	30
कुल अंक	100

विषय 3: (ख): सांकेतिक भाषा

उद्देश्य: सांकेतिक भाषा से श्रवणशक्ति बाधित लोगों के लिए उनके परिवारों और समाज से संपर्क स्थापित करने के द्वार खुले हैं। इस विषय में श्रवणशक्ति बाधित लोगों और समाज के बीच व्यवहार्य सेतु बनाने की भूमिका एवं तकनीक का महत्व स्पष्ट किया गया है। इस विषय का पाठ्यक्रम वह होगा जो भारतीय पुनर्वास परिषद के सांकेतिक भाषा पाठ्यक्रम के स्तर 'क' के लिए निर्धारित किया गया है|

परीक्षा की योजनाः

सत्रांत लिखित परीक्षा	40 अंक
सत्र व्यावहारिक परीक्षा	30 अंक
आंतरिक आकलन	30
कुल अंक	100

विषय 3(ग): सहायक तकनीक

उद्देश्य: सहायक प्रौद्योगिकी के आने से विकलांग व्यक्ति विकलांगता की बाधा को प्रभावी रूप से दूर कर पाए हैं। ऐसी बहुत-सी प्रौद्योगिकियाँ हैं जो शिक्षा, गतिशीलता और संचार संबंधी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी मदद करती हैं। इस विषय में इन प्रौद्योगिकियों से विस्तृत से विस्तृत परिचय कराया गया है। इन सहायक प्रौद्योगिकियों ने विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अपने अधिकारों का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग करने में सक्षम बनाया है। ये नकारात्मक धारणा और समाज के दृष्टिकोण से निपटने के लिए परिवर्तन का प्रभावी कारक भी हैं।

इकाई 1: दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी

घ) स्क्रीन रीडर और संश्लेषक (सिंथेसाइज़र)

ङ) ऑडियो और डेज़ी

च) बड़े प्रिंट और अन्य माध्यम

इकाई 2: श्रवण और वाक् शक्ति बाधित व्यक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी

घ) श्रवण साधन (हियरिंग एड)

ङ) संचार उपकरण

च) वाईब्रेंट प्रौद्योगिकी

इकाई 3: अस्थिबाधित विकलांगों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी

घ) संरचनात्मक सुगम्यता

ङ) व्हील चेयर्स और स्टेयर क्लाईम्बर्स

च) अन्य सहायक प्रौद्योगिकियाँ

परीक्षा की योजनाः

सत्रांत लिखित परीक्षा	40 अंक
सत्र व्यावहारिक परीक्षा	30 अंक
आंतरिक आकलन	30
कुल अंक	100

विषय 4: विकलांगता और भारत में शिक्षा

उद्देश्य: शिक्षा समाज को बदलने और सशक्त बनाने का शक्तिशाली साधन है। यह कमजोर वर्गों, विशेष रूप से विकलांगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस विषय में विद्यार्थियों को विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने की विभिन्न शिक्षण और अधिगम तकनीकों एवं माध्यमों की जानकारी प्रदान की गई है। इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न शैक्षिक मॉडल भी स्पष्ट किए गए हैं जो भारत में चलन में हैं। इस विषय में शिक्षा प्रदान करने में विभिन्न प्रकार की बाधाओं और उन्हें दूर करने के विकल्पों पर भी ध्यान दिया गया है। इस विषय में विकलांग व्यक्तियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए सुलभ वातावरण और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों पर भी चर्चा की गई है।

इकाई: 1. शिक्षा के उपकरण

क) ब्रेल, श्रव्य (ऑडियो) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

ख) सांकेतिक भाषा

ग) अस्थिबाधित और मानसिक विकलांगता के लिए तकनीकें

इकाई: 2. शिक्षा के मॉडल

क) विशेष विद्यालय

ख) एकीकृत शिक्षा

ग) समावेशी शिक्षा

इकाई: 3. बाधाएं

क) सामाजिक

ख) आर्थिक

ग) मनोवैज्ञानिक

इकाई: 4. समकालीन पहलें

क) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

ख) उच्च शिक्षा के लिए योजनाएं

ग) वर्तमान नीतियाँ

परीक्षा की योजनाः

सत्रांत परीक्षा	70 अंक
आंतरिक आकलन	30 अंक
कुल अंक	100

विषय 5: विकलांगता कानून का इतिहास

उद्देश्य: इस विषय में विकलांग व्यक्तियों का अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 पारित किए जाने से पूर्व भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए विधायी अधिनियमों का इतिहास बताया गया है। इसके अलावा, इसमें भारतीय संविधान की भूमिका का मूल्यांकन भी किया गया है ताकि विद्यार्थी भारत की स्वतंत्रता के समय विकलांगता की स्थिति को समझ पाएं और उसक आकलन कर सकें| इस तरह का इतिहास विभिन्न प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। एक ओर, भारत में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए विकलांगता आंदोलनों की भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है और दूसरी ओर, ऐसे आंदोलनों द्वारा बनाई गई और अपनाई गई नीतियों एवं विधियों के संदर्भ में राज्य की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया गया है। विकलांग व्यक्तियों से सम्बंधित मुद्दों का समाधान करने और उनके सशक्तिकरण में ऐसे विधायी अधिनियमों से काफी प्रगति हुई है।

इकाई 1: विधान शब्द को समझना

क) विकलांगता विधान के पीछे दर्शन

ख) विकलांगता और संविधान

ग) विकलांगता और मानवाधिकार

इकाई 2: आरसीआई अधिनियम 1992 और नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999

क) आरसीआई अधिनियम के मुख्य प्रावधान

ख) राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के मुख्य प्रावधान

ग)	महत्व और प्रभाव

इकाई 3: पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995

क)	अतीत से परिवर्तन

ख)	समान अवसर और पूर्ण भागीदारी

ग)	अधिकारों का संरक्षण

इकाई 4: न्यायपालिका और विकलांगता कानून

क)	न्यायपालिका की भूमिका और प्रभाव।

ख)	न्यायपालिका की सक्रियता और विकलांगता अधिकार

ग)	प्रमुख मामले

परीक्षा की योजनाः

सत्रांत परीक्षा	70 अंक
आंतरिक आकलन	30 अंक
कुल अंक	100

विषय 6: विकलांगता से सम्बंधित परियोजना कार्य

इस परियोजना का उद्देश्य विकलांगता के क्षेत्र में व्यावहारिक कार्य करने का कौशल विकसित करना है। इससे विकलांगता से सम्बंधित चर्चा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित परियोजना को पूरा करने के दौरान व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होगा। इससे विद्यार्थियों को विकलांग व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में समाज को बड़े पैमाने पर संवेदनशील बनाने का अवसर भी प्राप्त होगा। विकलांगता के संदर्भ में साहित्य, रंगमंच और सिनेमा से विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए एक उपयोगी मानव संसाधनों का सृजन होगा और समावेशी समाज के निर्माण में भी मदद मिलेगी।

टिप्पणीः

1.	छात्र परियोजना कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

- i. **भाषा**
- ii. **साहित्य**
- iii. **सुगम्यता**
- iv. **गैर सरकारी संगठन**
- v. **थियेटर**
- vi. **सिनेमा**
- vii. **नीतियाँ**

2. छात्र इस पाठ्यक्रम के विषयों से किसी एक विषय पर भी परियोजना कार्य कर सकते है|